



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 पौष 1943 (श०)

(सं० पटना 1038) पटना, बुधवार, 29 दिसम्बर 2021

।E 27@vkjki&01&27@2020&16022@।k0ç0
।keku; i:'kk।u foHkkx

।dyi

16 दिसम्बर 2021

श्री राजेश कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-814/11, तत्कालीन प्रथम अपीलीय प्राधिकार-सह-अपर समाहर्ता, सारण सम्प्रति बन्दोबस्त पदाधिकारी, शेखपुरा के विरुद्ध राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना द्वारा वाद संख्या 66003/11-12 दिग्विजय कुमार पाण्डेय बनाम प्रथम अपीलीय प्राधिकार-सह-अपर समाहर्ता, सारण (छपरा)/लोक सूचना पदाधिकारी-सह-जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सारण छपरा के मामले में प्रथम अपीलीय प्राधिकार के रूप में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-19 के प्रावधान अन्तर्गत आयोग द्वारा दिनांक-26.11.2015 एवं 29.06.2016 को सुनवाई के दौरान दिये गये निदेश का अनुपालन नहीं किये जाने संबंधी आरोप जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के पत्रांक-5496 दिनांक-31.12.2019 द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ।

2. जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा से प्राप्त आरोप पत्र के आलोक में श्री कुमार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण (दिनांक-17.08.2021) की समीक्षा के पश्चात् उसे असंतोषप्रद पाते हुये इस विभाग के स्तर से आरोप गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया। तदुपरांत विभागीय पत्रांक-12845 दिनांक-29.10.2021 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री कुमार का स्पष्टीकरण (दिनांक-05.11.2021) प्राप्त हुआ।

3. श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री कुमार के स्पष्टीकरण में स्वयं स्वीकार किया गया है कि आयोग द्वारा निर्गत दोनों नोटिसों में से किसी नोटिस में दिये गये आदेशों का अनुपालन नहीं कर पाये हैं। इस संबंध में इनके द्वारा कार्य व्यस्तता एवं स्थानान्तरण को कारण बताया गया है। दूसरी नोटिस के एक दिन बाद ही श्री कुमार द्वारा दूसरे पद का पदभार ग्रहण कर लिया गया है, अतः यह माना जा सकता है कि दिनांक-29.06.2016 की नोटिस उनके संज्ञान में नहीं आयी होगी, लेकिन दिनांक 26.11.2015 की नोटिस के अनुपालन में इन्हें माननीय राज्य सूचना आयोग के समक्ष उपस्थित होना चाहिए था, किन्तु ऐसा इनके द्वारा नहीं किया गया है। अतः अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध **fulnu dh 'kkfLr** अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

4 अतएव श्री राजेश कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-814/11, तत्कालीन प्रथम अपीलीय प्राधिकार-सह-अपर समाहर्ता, सारण सम्प्रति बन्दोबस्त पदाधिकारी, शेखपुरा के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित) के नियम 14 के अंतर्गत ।- **fuUnu dh 'kkfLr %vkjki o"k&2015&16%** अधिरोपित किया जाता है।

vk'n'k %& vk'n'k fn;k tkrk g' fd bl l'dYi dh ifr fcgkj jkt i= d vxy: vlk/kkj.k vd e i:dkf'kr fd;k tk; rFkk bl dh ifr l'cf/kr dk Hkt nh tk;A

**fcgkj&jkT;iky d vk'n'k l.]
t ; 'kdj i:lkn]
ljdkj d l;Dr lfpoA**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1038-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>